

फर्द अहकाम

(नियम 26)



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सैथल जिला दौसा राजस्थान

जगदीश वर्गो

बनाम

कजोड वर्गो

किरम मुकदमा : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अरथाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.11.2025	<p>अधिवक्ता प्रार्थी श्री सतीश कुमार पारीक एड. उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण के तलबी नोटिस रजिस्टरर्ड ए0डी0 पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 14.11.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी सैथल</p>	
14.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हैं। अग्रार्थीगण के पेशावली तलबाने रजिस्टर्ड पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 17.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p>वकील पारीक</p>
17.11.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हैं। अग्रार्थी। लगातार उन्ही अंत से श्री विनाय विजय एड० द्वारा आवत पेश की गई। प्रकरण में वादग्रस्त आरोपी से संबंधित एक अन्य उतवानी प्रकरण कजोड बनाम कलशा वर्गो दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें ककुलाय फरिक्कन श्री बहस सुनीगरी दौरान बहस ककुलाय फरिक्कन ने वादग्रस्त आरोपी पर अलघार्थी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे उतवानी प्रकरण कजोड बनाम कलशा वर्गो में वादग्रस्त आरोपी पर रिमांड एवं मौके की प्रथाएँ निषेधित अलघार्थी निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को आगे चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण फैसल सुमा होकर नम्बर संकम हो तथा मूल वाद के साथ हम क्लिप्त हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी सैथल</p>	<p>P.T. प्रतिवादी - 17/11/25 बिआर <i>[Signature]</i></p>